न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 27/2022 ई.रे. दिनांक 06.10.2025

1. सुमित्रा पुत्री बाबूलाल मेघवाल निवासी तहसील बड़ीसादड़ी
2. प्रहलाद पुत्र बाबूलाल मेघवाल निवासी बडीसादडी तहसील बडीसादड़ी

– प्रार्थीगण

बनाम

1. बाबूलाल पिता गंगाराम मेघवाल निवासी बडीसादडी तहसील बडीसादडी
2. समर पिता बाबूलाल मेघवाल जरिए संरक्षक पिता बाबूलाल मेघवाल गंगाराम मेघवाल निवासी बडीसादड़ी
3. तहसीलदार बडीसादड़ी

–अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित– श्री जी.एस. झाला वकील प्रार्थीगण
श्री अनिल सोनावा वकील विपक्षीगण

–:: आदेश::–

प्रार्थीगण की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि

1. प्रार्थीगण ने एक वादपत्र विपक्षीगण के विरूद्ध ठोस तथ्यों पर न्यायालय आप में प्रस्तुत कर रखा है जो निश्चित ही प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित होगा परन्तु जिसके अन्तिम निस्तारण में समय लगने की सम्भावना है।
2. प्रार्थीगण व विपक्षीगण के कब्जेयाबी की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात मौजा परबती, पटवार हल्का अमीरामा तहसील बडीसादड़ी में स्थित होकर आराजी का विवरण निम्न प्रकार है।

खातासंख्या	आराजी नं.	रकबा	लगानी
29	310	0.7300 हैक्टेयर	30.66 पैसा
	311	0.2600 हैक्टेयर	08.56 पैसा
	312	0.0100 हैक्टेयर	00.00 पैसा
	313	0.2400 हैक्टेयर	07.92 पैसा
	315	0.2800 हैक्टेयर	09.24 पैसा
	317	0.0800 हैक्टेयर	02.64 पैसा
	318	0.4600 हैक्टेयर	[illegible] पैसा
	321	0.1300 हैक्टेयर	04.[illegible] पैसा

कुलखसरा – 08 क्षेत्र. – 2.1900 हैक्टेयर लगानी – 78रु. 51 पैसा

खातासंख्या	आराजी नं.	रकबा	लगानी
28	512/314	0.0900 हैक्टेयर	02.97 पैसा

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:46:24 IST
Reason: SelfAttested

कुलखसरा– 1 क्षेत्र – 0.0900 हैक्टेयर लगानी – 02रू. 97 पैसा

3. प्रार्थीगण व विपक्षीगण का पारिवारीक सजरा इस प्रकार है कि मूल पुरूष नाथूलाल(मृतक) थे उनके पुत्र गंगाराम(मृतक) थे । गंगाराम के पुत्र बाबूलाल, भंवरलाल, शान्तिलाल हुये। बाबूलाल की पहली पत्नी नारूदेवी(मृतक) व द्वितीय पत्नी माया थी । पहली पत्नी के सुमित्रा(पुत्री) व पुत्र(प्रहलाद) हुये। द्वितीय पत्नी के समर पुत्र हुये ।

4. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या दो में वर्णित आराजीयात गंगाराम जी की पुश्तैनी पैतृक होकर गंगाराम जी के तीन पुत्र बाबूलाल भंवरलाल शान्तिलाल उत्पन्न हुए तथा बाबूलाल ने प्रथम विवाह श्रीमती नारू बाई से किया जिससे उसे दो पुत्र पुत्री प्रार्थीगण सुमित्रा व प्रहलाद उत्पन्न हुए तथा नारूबाई के जीवित रहते हुए विपक्षी बाबूलाल ने एक नेपाली महीला माया से दुसरा विवाह किया जिससे उसके एक पुत्र समर उत्पन्न हुआ जो वर्तमान में बाबूलाल व माया के साथ ही निवास कर रहा है।

5. विपक्षी बाबूलाल का अपनी पहली पत्नि नारूदेवी से मन मुटाव हो जाने से उसने अपनी पहली पत्नि को घर से निकाल दिया तब से नारूदेवी अपने दोनों बच्चो के साथ किराये का मकान लेकर निवास कर रही थी तथा नारू देवी की अभी हाल ही में मृत्यु हो जाने के बाद से बाबूलाल की नियत खराब हो दोनों बच्चों को अपनी जायदाद से व कृषि आराजीयात से महरूम करने की नियत से अपनी पुश्तैनी पैतृक सम्पति को खुर्द बूर्द करने तथा अपनी द्वितीय पत्नि व उसके बच्चों के नाम करवाने पर अमादा हैं जिसका उसको कोई हक व अधिकार नही होकर वादीगण का उक्त पुश्तैनी आराजीयात में हक हिस्सा बनता है। जिसे वे प्राप्त करने के अधिकारी है।

6. प्रार्थनापत्र की चरण संख्या दो में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीया सुमित्रा का 1/12 हक हिस्सा प्रार्थी प्रहलाद का 1/12 हक हिस्सा विपक्षी बाबूलाल का 1/12 हक हिस्सा व समर का 1/12 हक हिस्सा बनता हैं तथा प्रार्थीगण अपने 1/12, 1/12 हक हिस्से पर काबिज होकर आराजीयात का उपयोग उपभोग कर रहे है। पर विपक्षी बाबूलाल जो प्रार्थीगण के पिता है। वह बुर्द करने पर अमादा है जिसका उनको कोई हक व अधिकार नही होकर प्रार्थीगण अपना 1/12, 1/12 हक हिस्सा अपनी खातेदारी में घोषित करा राजस्व अभिलेख में इसी अनुसार दर्ज कराने के अधिकारी है। तथा विपक्षी बाबूलाल को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं।

7. प्रार्थनापत्र की चरण संख्या दो में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण का जन्म से हक हिस्सा होकर वह अपने पिता के साथ ही अपने हक हिस्से पर काबिज होकर चला आ रहा हैं तथा अब चुकि विपक्षी बाबूलाल के तथा नारूदेवी व प्रार्थीगण को घर से बाहर निकाल दिया तथा नारूदेवी की भी मृत्यु हो चुकी हैं तथा दोनों के सम्बन्ध मधुर नही रहने से बाबूलाल उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द करने पर अमादा है जिसका उसको कोई हक व अधिकार नही होकर प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की घोषणा कराने का अधिकारी है। तथा विपक्षी बाबूलाल प्रार्थीगण के कब्जेयाबी में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करे इसके लिए उसे अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

8. प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा का संन्तुलन व अपुरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को होने से विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अति आवश्यक व न्यायाचित हैं अन्यथा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी वह अपनी आराजी के सही उपयोग उपभोग से महरूम हो जायेंगे तथा बिना कारण ही मुकदमें बाजी बढेगी जिसकी पूर्ति किसी भी स्थिति में संभव नही है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की वे प्रार्थना पत्र की चरण संख्या दो व तीन में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण के शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करे न करावे। व आराजी को अन्यत्र हस्तान्तरित न करे न करावे व मुल वाद के निस्तारण तक मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:46:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

उपरोक्त उनवान के प्रकरण में विपक्षी क्रमांक 01 बाबूलाल पिता गंगाराम मेघवाल निवासी बड़ीसादड़ी तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौडगढ़ का ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय विशेष कथन निम्नानुसार प्रस्तुत हैं कि :

1. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित तथ्य यही तक स्वीकार है कि प्रार्थीगण ने एक वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया बकाया तथ्य अस्वीकार है चुंकि प्रार्थीगण ने अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट0 का वाद पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार नही है प्रार्थीगण का वाद मिथ्या एवं ठोस तथ्यों पर आधारित नही होने से एवं कानून के विपरित होने के निश्चित ही खारिज होगा।
2. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित तथ्य की प्रार्थी एवं विपक्षीगण की कब्जेयाबी भूमि के तथ्य मिथ्या है जबकि इस चरण में वर्णित आराजीयात खाता संख्या 29 व 28 की आराजीयात राजस्व रिकार्ड में विपक्षी क्रमांक 01 बाबूलाल पिता गंगाराम जाति मेघवाल के नाम पर 1/3 हक हिस्सा की भूमि खातेदारी दर्ज है जिस पर तन्हा रूप से विपक्षी क्रंमाक 01 काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हैं। इस भूमि के किसी भी भू– भाग पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नही हैं।
3. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित पारिवारिक सजरा को प्रार्थीगण अपने दस्तावेजों से साबित करावे चुंकि पारिवारिक सजरा गलत बनाया गया हैं।
4. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 04 व 05 में वर्णित तथ्यों मिथ्या एवं बनावटी होने से विपक्षीगण को स्वीकार नही है इस चरणों में वर्णित तथ्यों का जवाब इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजीयात विपक्षी क्रंमाक 01 के नाम पर संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर विपक्षी क्रंमाक 01 रिकार्ड खातेदार काश्तकार है जो अपने खाते की भूमि का उपयोग उपभोग करने हेतु स्वतन्त्र है वादग्रस्त आराजीयात के पेटे विपक्षी क्रंमाक 01 ने प्रार्थी क्रंमाक 01 सुमित्रा का विवाह पूर्व में सत्र 2003 में बड़ी धुम धाम से कराया जिसमें करीबन 20 लाख रूपये खर्च किये तथा जर जैवर कपड़े लत्ते इत्यादि देकर विदा किया ओर विपक्षी क्रंमाक 01 ने प्रार्थी क्रंमाक 01 को उदयपुर शहर में गणेश महावतवाड़ी में मकान पक्का चार मंजिल बना हुआ है। श्री भगवान लाल मेघवाल से खरीद कर प्रार्थी क्रंमाक 01 व 02 की माता को दिया जिसमें प्रार्थीगण रहते थे उक्त मकान को इन्होंने बेच दिया ओर अब विपक्षी को नाजायज परेशान करने के लिये ये प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज करने योग्य हैं।
5. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 06 व 07 में वर्णित तथ्य विपक्षी को कतई स्वीकार नही है विपक्षी क्रंमाक 01 वादग्रस्त आराजीयात का राजस्व रिकार्ड अनुसार 1/3 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक रिकार्ड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित नही की जा सकती है न्यायिक दृष्टया 2016–17 **(sup.)** RRT637 BORD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJMER REVISION TA No. 143 /sriangagar Malkiyat kaur and anr VS Malkiya kaur and ors. में यह अभिनिर्धारित किया गया कि रिकार्ड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती हैं। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में चरण संख्या 06 को दोबारा अंकित किया है जबकि द्वितीय 06 की जगह 07 का जवाब इस प्रकार है।
6. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 07 व चरण अनुसार 08 ... जवाब इस प्रकार है प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टिया मामला नही है जबकि विपक्षी क्रंमाक 01 ... खातेदार काश्तकार है असुविधा प्रार्थीगण को नही हो रही है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा से यदि विपक्षी क्रंमाक 01 का पाबन्ध किया जाता है तो असुविधा विपक्षी क्रंमाक 01 को होगी सुविधा ... सन्तुलन भी विपक्षी क्रंमाक 01 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:46:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

पक्ष में है ऐसी स्थिति में तीनों कानूनी बिन्दू विपक्षी कंमाक 01 के पक्ष में होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य हैं।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि विपक्षीगण कंमाक 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्याय, नियमों के विपरीत होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षो के तर्को के एवं बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– <u>प्रथम दृष्टया मामला</u>

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि वाद ग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी हैं प्रार्थीगण का इसमें हिन्दू उत्तराधिकार अनियियम के तहत हक हिस्सा निहित है। विपक्षी संख्या 1 इसका नाजायज फायदा उठाकर विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात को रहन, बय बक्षीश कर हस्तान्तरीत करने पर आमादा है व प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने पर आमादा है प्रार्थीगण ने वाद ग्रस्त पुश्तैनी आराजीयात में से अपना हिस्सा चाहा है। इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

<u>2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–</u>

चूंकि वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी है। बाबूलाल की जाईन्दा पुत्र व पुत्री प्रार्थीगण है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत इसमें प्रार्थीगण का हिस्सा निहित है। यदि विपक्षी उक्त आराजीयात को बेच देते है तो प्रार्थीगण को असुविधा व अपूर्णीय क्षति होगी। जिससे प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टिया केश प्रमाणित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि विपक्षी को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरीत करने में सफल हो जावेगें जिससे अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थीगण साबित करने में सफल रहे है।

–:आदेश:–

अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. को स्वीकार किया जाता है। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 16.05.2022 के अनुसार विपक्षीगण मौजा परबती पटवार हल्का अमीरामा की आराजी नं. 310, 311, 312, 313, 315, 317, 318, 321 कुल किता 8 रकबा 2.1900 हैक्ट. तथा आराजी नं. 512/314 रकबा 0.0900 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। इस हेतु विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है ।

यह आदेश आज दिनांक 06.10.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:46:24 IST
Reason: SelfAttested